10.5 यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी असैनिक रोज़गार के लिए कार्यभार प्राप्त करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो उसे किसी भी अनुवर्ती रोज़गार के लिए भूतपूर्व सैनिक के लाभ प्रदान किए जाएँगे, परंतु ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को असैनिक रोज़गार में कार्यभार ग्रहण करने पर अपने संबंधित नियोक्ता के सम्मुख इस केंद्रीकृत रोज़गार सूचना के अंतर्गत दिए गए आवेदन के साथ अनेक रिक्तियों के लिए आवेदन के विवरण के संबध में घोषणा/ वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। असैनिक नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) सहित ऐसी घोषणा की पावती दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा ऐसा न किए जाने कि स्थिति में वे भूतपूर्व सैनिक के लिए निर्धारित आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये लाभ केवल सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों एवं उन रिक्तियों के लिए लागू होंगे, जिनमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है।

10.6 भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित चिकित्सा मानक, भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली (आईआरएमएम) के खंड-I के पैरा 534 के अनुसार होंगे, जो www.indianrailway.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

11.0 **सेवारत कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) :**

रेलवे अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केंद्र/ राज्य सरकार के किसी भी विभाग में सेवारत उम्मीदवार (प्रवेश प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे/ परिवीक्षाधीन सहित) अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

नोट: उम्मीदवारों को यह ध्यान देना चाहिए कि रेलवे भर्ती बोर्ड में उनके नियोक्ता से उम्मीदवार को आवेदन करने/ परीक्षा में भाग लेने के लिए दी गई अनुमति को रोकने की सूचना प्राप्त होने पर उनके आवेदन/ उम्मीदवारी को रद्द/ अस्वीकार किया जा सकता है।

12.0 **भर्ती प्रक्रिया :**

a) उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध लिंक द्वारा **केवल ऑनलाइन आवेदन** प्रस्तुत करना है। एक से अधिक आवेदन उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर सभी आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और डीबार कर दिया जाएगा।

b) भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:

i. कंप्यूटर आधारित टेस्ट
ii. शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) / शारीरिक मापन परीक्षण (पीएमटी)
iii. दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी)

c) परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी आरआरबी वेबसाइटों, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से पात्र उम्मीदवारों को दी जाएगी।

d) किसी भी चरण के स्थगन या स्थान, तिथि और शिफ्ट के परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

12.1 **कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)** :

परीक्षा का स्तर स्नातक स्तर का होगा।

a) सीबीटी का पैटर्न और पाठ्यक्रम:
   - a) कुल अवधि: 90 मिनट और कुल प्रश्न: 120
   - b) उम्मीदवारों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रयास नहीं किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा या कटौती नहीं की जाएगी
   - c) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन @ 1/3 अंक होंगे।
   - d) कई शिफ्ट में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा।
   - e) पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत: यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल - 35%, एससी और एसटी - 30%

b) सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए गिना जाएगा

c) **सीबीटी के लिए पाठ्यक्रम:** प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को कवर करने की संभावना है।

a) अंकगणित (35 अंक):

संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याएं, दशमलव और भिन्न और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, तालिकाओं और रेखांकन का उपयोग, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, आदि पर प्रश्न

b) **जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग (35 अंक):**

एनालॉजीज, समानताएं और अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेने पर प्रश्न, दृश्य स्मृति, भेदभावपूर्ण अवलोकन, संबंध अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और चित्रा वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, कथन- निष्कर्ष, सिलोजिस्टिक तर्क आदि

c) **सामान्य जागरूकता (50 अंक):**

प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों के आसपास के पर्यावरण और समाज के लिए इसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होगा; वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव के ऐसे मामलों का परीक्षण करने के लिए जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है। परीक्षण में भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, खेल, सामान्य विज्ञान आदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

12.2 **शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और शारीरिक माप (पीएमटी):**

ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) होगा। सीबीटी में उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरुष / महिला / भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रत्येक संवर्ग में रिक्तियों की संख्या के 10 गुना सीमा तक शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मापन परीक्षण (पीएमटी) और दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगें। भूतपूर्व सैनिकों को पीईटी से छूट दी जाएगी, हालांकि, उन्हें पीएमटी देना होगा। यदि उपर्युक्त शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से अपेक्षित संख्या के उम्मीदवार पीईटी / पीएमटी में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, और पुरुष / महिला / भूतपूर्व सैनिकों के किसी भी संवर्ग / समूह में कमी है, तो 10 गुना की सीमा तक अतिरिक्त उम्मीदवारों को सीबीटी में उनकी योग्यता के अनुसार पीईटी / पीएमटी के दूसरे दौर के पीईटी / पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी/पीएमटी के अधिकतम दो राउंड होंगे। पीईटी/पीएमटी के दूसरे दौर के बाद महिला और पूर्व सैनिकों की रिक्तियों को नहीं भरा जाता है, तो रिक्त पदों को संबंधित श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है और यह सामान्य योग्यता होगी। कोई अंक नहीं दिया जाना है।

i. पीईटी के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	**1600 मीटर दौड़**	**800 मीटर दौड़**	**लंबी कूद**	**ऊंची कूद**
उप-निरीक्षक (कार्यकारी) पुरूष	6 min 30 secs	-	12 ft	3 ft 9 inch
उप-निरीक्षक (कार्यकारी) महिला	----	4 mins	9 ft	3 ft

ii. पीएमटी के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं :

श्रेणी	**ऊंचाई Height (in CMs)**		**छाती (in CMs) (Only for Male)**	
	पुरुष	महिला	**अविस्तारित**	**विस्तारित**
यूआर/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी	165	157	80	85
एससी/एसटी	160	152	76.2	81.2
गढ़वालियों, गोरखाओं, मराठाओं, डोगरा, कुमाऊंनी और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य श्रेणी के लिए	163	155	80	85

नोट:

i. 1600/800 मीटर स्पर्धा के लिए केवल एक मौका दिया जाएगा। शेष स्पर्धाओं अर्थात लंबी कूद और ऊंची कूद के लिए, उम्मीदवारों को प्रत्येक को 2 मौके दिए जाएंगे।

ii. पूर्व सैनिकों को पीईटी से छूट दी जाएगी, हालांकि, उन्हें पीएमटी लेना होगा।

iii. एक उम्मीदवार को पात्र होने के लिए उपरोक्त मानदंड के अनुसार सभी टेस्ट में अर्हता प्राप्त करनी चाहिए।

iv. पुरुष उम्मीदवार जिनके पास न्यूनतम ऊंचाई नहीं है, उन्हें छाती की माप के लिए नहीं माना जाएगा और उन्हें अयोग्य माना जाएगा।

v. 1600 मीटर/800 मीटर में अर्हता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को ऊंचाई और छाती के संबंध में पात्रता के लिए मापा जाएगा। छाती का माप केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए लिया जाएगा। यदि किसी पुरुष उम्मीदवार की अविस्तारित छाती माप पात्रता सीमा से कम है, तो विस्तारित माप नहीं लिया जाएगा और उसे अयोग्य माना जाएगा।

vi. उम्मीदवार जिनके पास न्यूनतम ऊंचाई, छाती (अविस्तारित / विस्तारित) नहीं है, उन्हें पीएमटी में असफल माना जाएगा।

vii. पीईटी/पीएमटी उत्तीर्ण करना है। कोई अंक नहीं दिया जाना है।

viii. फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (पीएमटी) से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण सेल की स्थापना की जाएगी। उम्मीदवार को परीक्षा की तारीख के तीन दिनों के भीतर पीसीएससी को अभ्यावेदन करना होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में पीईटी, पीएमटी, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाती है।

12.3 दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) :

i. सीबीटी में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर और पीईटी और पीएमटी में उनकी योग्यता के अधीन, उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए विचार किया जाएगा।

ii. एससी, एसटी, ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार, उन्हें उपलब्ध किसी भी छूट का लाभ उठाए बिना पूरी तरह से योग्यता के आधार पर चुने गए, यूआर रिक्तियों के विरुद्ध गिना जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के मामलों में, उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड द्वारा निर्धारित की जाएगी यानी अधिक आयु के उम्मीदवार को उच्च वरिष्ठता दी जाएगी। यदि जन्म तिथि भी समान होती है तो उन्हें आरोही वर्णमाला क्रम (a से z) में रखा जाएगा।

iii. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेल प्रशासन द्वारा आयोजित की जाने वाली अपेक्षित मेडिकल फिटनेस परीक्षा, शैक्षिक और जाति प्रमाण-पत्रों के अंतिम सत्यापन, स्थानीय प्रशासन से उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन और प्रारंभिक प्रशिक्षण के सफल समापन के अध्यधीन है।

iv. उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि भर्ती समिति केवल सूचीबद्ध उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करती है और नियुक्ति केवल संबंधित क्षेत्रों / आरपीएसएफ द्वारा की जाती है।

v. दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होने वाले उम्मीदवारों को सीबीटी और पीईटी / पीएमटी में उनके प्रदर्शन के बावजूद, अंतिम चयन में नहीं माना जाएगा।

vi. दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के दो सेट के साथ अपने सभी मूल दस्तावेज जमा करने होंगे।

vii. इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को पोर्टल - https://oirms-ir.gov.in/rrbdv के माध्यम से अपनी डीवी तिथि से पहले फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां (असली रंग में) अपलोड करनी चाहिए।